69

8

1

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–टीकमगढ़

निगरानी– 5752/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

1 तेज सिंह पुत्र श्री रतिराम यादव
2 भरतराम पुत्र श्री रतिराम यादव
3 गुलाम पुत्र श्री रतिराम यादव
4 प्रताप पुत्र श्री रतिराम यादव
5 नीरज पुत्र श्री रतिराम यादव
6 महिला जानकी बेवा रतिराम यादव

निवासीगण– ग्राम गौर तहसील मोहनगढ़ जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

रामनारायणस पुत्र श्री जसरथ
निवासी– ग्राम गौर तहसील मोहनगढ़ जिला – टीकमगढ़ पोस्टमैन हालपदस्थ ग्राम गौर तहसील मोहनगढ जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

-- अनावेदक

10-9-18
01-10-18
10-9-18
10/09/18

**न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 195/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1 यहकि, भूमि खसरा नं. 1054 एवं 1058/1 ग्राम गौर तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ में स्थित है, अनावेदक द्वारा भूमि खसरा नं. 1041/1 का सीमांकन 29, 30 नम्बवर 2016 को एवं 1.दिसम्बर.2016 कराया गया था। और आवेदकगण की पुस्तैनी स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि के कुछ हिस्सा पर विवाद करने लगा था। इस संबंध में आपत्ति की गयी तो वह लडने झगडने लगा।

2 यहकि, अनावेदक 2 अक्टबर 1984 के पर्व से ही पोस्टमैन के पद पर पदस्थ

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5752/2018/टीकमगढ़/भू.रा. तेजसिंह विरूद्ध रामनारायण

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29-10-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक तेजसिंह की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 195/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-07-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-09-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है ।<br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" | |

4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

29.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य